And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 3rd September, 2011;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

- 1. (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 24, in sub-rule (1) after the words "shall enter or be in the aircraft" the words "or report for duty" shall be inserted.

[F. No. AV. 11012/03/2011-A]

PRASHANT SUKUL, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 59(E), dated the 31st January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), on the 31st January, 2011.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 324.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (अधीक्षक) भर्ती नियम, 1996 और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (प्रशासनिक और लेखा सेवा) पद भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उसका संबंध सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्भित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, अधीक्षक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता : वह व्यक्ति,---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जा कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले	
			ग्रड वतन या वेतनमान	अचयन पद	व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
अधीक्षक	24* (2011)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड 2,	चयन	लागू नहीं होता	
	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'ख',	9300—		~	
	आधार पर	अराजपत्रित,	34800 ্.			
	परिवर्तन किया	अनुसचिवीय	ग्रेड वेतन			
	जा सकता है।	-	4200 ফ.			
	(7)		और शैक्षिक अर्हताएं व्यक्तियों की दशा में या नहीं (8)		(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		दो वर्ष	
या प्रतिनियुक्ति	ति : भर्ती सीधे होगी /आमेलन द्वारा तथा विषि वाली रिक्तियों की प्रति	भन्न पद्धतियों	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आ प्रतिनियुक्ति/आमेलन वि		ो दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/	
(10)			(11)			
(i) नब्बे प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने			प्रोन्नित :			
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;			ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।			

पर प्रातानयुक्ति द्वारा;

(ii) दस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक यां पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरो वर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(11)

प्रतिनियुक्ति :

- (1) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,---
- (a)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य वाले पदों में छह वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों का छह वर्ष का अनुभव है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा ! जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)		
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति । जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–	के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	
 निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे 	अध्यक्ष		
 संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे 	—सदस्य		
 अवर सचिव, भार साधक, स्थापना-II जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली 	सदस्य 	•	
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे 	—सदस्य		

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 9th November, 2011

- G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Junior Accounts Officer) Recruitment Rules, 1996 and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Administrative and Accounts Services) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1986, in so far they relate to the post of Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Superintendent, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification. —No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- **(b) who, having a spouse living,** has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	on Age limit for direct recruits	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Superintendent	24*(2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, , Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200	Selection	Not applicable	
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educ qualification prescrib- direct recruits will app case of promotees	ed for	Period of Probation, if any	
(7)			(8)		(9)	
Not applicable			Not applicable		Two years	

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or, by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(10)

(11)

- (i) Ninety per cent by promotion failing which by deputation;
- (ii) ten per cent by deputation.

Promotion:

Upper Division Clerk with ten years regular service in the grade.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation:

Officers of the Central Government,-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with six years regular service in the post in pay band-1 Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) having six years experience in administration, establishment and accounts matters.

Note 1:—The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3:—The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 4:—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been

(11)

extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13)			
(12)				
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for consisting of :— 1 Director, Central Water and Power Research	r promotion) —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		
Station, Pune 2. Joint Director, Central Water and Power	—Member			
Research Station, Pune				
Under Secretary, in-charge, Establishment-II, Ministry of Water Resources, New Delhi	Member			
4. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member			

[F. No. 2/5/2003-E. II]

ANOOP SETH, Director (E. II)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 325.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (प्रशासिनक और लेखा सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1986 को, जहां तक उसका संबंध विधि सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, में विधि सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवा, विधि सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता : वह व्यक्ति :--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।